

20.09.2022:- आज पत्रावली एसी न आई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असातन / वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व उसकी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज किया जा रहा है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते



सहायक न्यायाधीश
एवं उपखण्डाधीश
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

